प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर (राज.)

नोटिस

पत्रावली संख्या:- 150/2025/650 दिनांक- 28.1.26
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस सम्बन्धित व्यक्तियों का
(समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु)

चूंकि श्री मन्नालाल, अध्यक्ष ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा-17 (2) के अन्तर्गत ग्राम विकास कोष टीण्डोरी, वडबामनिया फला, तहसील झाडोल फलासिया, जिला उदयपुर प्रन्यास के सम्बन्ध में पंजीयन किये जाने के लिये आवेदन पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपयुक्त प्रन्यास, जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 (साठ) दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। ओर यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 28.1.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आगामी पेशी तारीख 13.4.26 की रखी गयी है।

(जतीन कुमार गांधी)
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, उदयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर (राज.)

नोटिस

पत्रावली संख्या:- 151/2025/644 दिनांक- 28.1.26
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस सम्बन्धित व्यक्तियों का
(समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु)

चूंकि श्री कमललाल, अध्यक्ष ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 कली धारा-17 (2) के अन्तर्गत ग्राम विकास कोष मादला, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर द्वारा प्रन्यास के सम्बन्ध में पंजीयन किये जाने के लिये आवेदन पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपयुक्त प्रन्यास, जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 (साठ) दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। ओर यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 28.1.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आगामी पेशी तारीख 13.4.26 की रखी गयी है।

(जतीन कुमार गांधी)
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, उदयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर (राज.)

नोटिस

पत्रावली संख्या:- 149/2025/638 दिनांक- 28.1.26
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस सम्बन्धित व्यक्तियों का
(समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु)

चूंकि श्री शिवलाल गरासिया, अध्यक्ष ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा-17 (2) के अन्तर्गत ग्राम विकास कोष केवडी, पानरवा, मानपुर तहसील झाडोल जिला उदयपुर प्रन्यास के सम्बन्ध में पंजीयन किये जाने के लिये आवेदन पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपयुक्त प्रन्यास, जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 (साठ) दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। ओर यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 28.1.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आगामी पेशी तारीख 13.4.26 की रखी गयी है।

(जतीन कुमार गांधी)
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, उदयपुर

दिव्यांगता पेंशन के लिए युडीआईडी कार्ड अनिवार्य

उदयपुर, 13 फरवरी। राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत् पेंशन प्राप्त कर रहे दिव्यांगजनों के लिये डिजिटल दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (युडीआईडी कार्ड) बनवाना अनिवार्य कर दिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उदयपुर के संयुक्त निदेशक गिरीश भटनागर ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में दिव्यांगता के आधार पर लाभ प्राप्त करने के लिये जिन दिव्यांगजनों के पास युडीआईडी कार्ड बना हुआ हैं। और जिन्होंने कार्ड नहीं बनवाया है, वे ई-मित्र के माध्यम से स्वावलम्बन पोर्टल पर आवेदन कर महाराणा भूपाल चिकित्सालय, उदयपुर में जाकर चिकित्सकीय परीक्षण पूर्ण करवा कर ई-मित्र पर अपलोड करवायें।

पंजाब राज्यपाल कटारिया 16 को आएंगे

उदयपुर 13 फरवरी। चंडीगढ के प्रशासक एवं पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया का 16 फरवरी को प्रात: 9.20 पर महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर आगमन होगा । भाजपा नेता अतुल चंडालिया ने बताया कि कटारिया के आगमन पर एयरपोर्ट पर प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर एवं भाजपा संगठन द्वारा स्वागत किया जाएगा। तत्पश्चात में अपने निवास पर पहुंच 11 सर्किट हाउस पहुंचेंगे जहां पर दोपहर 1 बजे तक जनसुनवाई करेंगे। कटारिया दिन में अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। रात्रि विश्राम उदयपुर में करेंगे एवं 17 फरवरी को प्रात: 9 बजे फील्ड क्लब पहुंचे पीआईएमएस मेवाड क्रिकेट कप के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे।

पैरालीगल वॉलेन्टिर के लिए आवेदन आमंत्रित

उदयपुर, 13 फरवरी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वावधान में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ज्ञान प्रकाश गुप्ता के निर्देशों के ऋम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा विधिक सेवा कार्यऋमों के ऋियान्वयन के लिए उदयपुर मुख्यालय, तालुका मावली, वल्लभनगर, कानोड, खैरवाडा, झाडोल, गोगुन्दा पर कुल 25 पैरालीगल वोलेन्टीयर्स का मनोनयन पूर्णतया अस्थायी आधार पर किया जा रहा है। प्राधिकरण सचिव एडीजे कुलदीप शर्मा बताया कि पैरालीगल वोलेन्टीयर्स बनने के लिये 21 वर्ष से अधिक उम्र के 1०वीं पास व्यक्ति जैसे सेवारत एवं सेवानिवृत शिक्षक, सेवानिवृत राजकीय कर्मचारा आदि।

श्रेष्ठ विद्यार्थियों के सम्मान के साथ 142वीं भूपाल जयंती समारोह सम्पन्न

प्रताप चौक में अत्यंत हर्षोल्लास के साथ 142वीं भूपाल जयंती समारोह मनाया ।

उदयपुर, (निसं)। विद्या प्रचारिणी सभा भूपाल नोबल्स संस्थान के प्रताप चौक में अत्यंत हर्षोल्लास के साथ 142वीं भूपाल जयंती समारोह मनाया गया। समारोह का प्रारंभ महाराणा भूपाल सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ।

मुख्य अतिथि पूज्या गुरुमैया भूवनेश्वरी पुरी ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि कुलीनता ही मनुष्य जीवन का आधार है। कुलीनता का अर्थ त्याग और धेर्य है। हमारी सांस्कृतिक परम्परा इसी त्याग और धैर्य की नींव पर अवस्थित है। राम और सत्यवादी हरिश्चंद्र इस के प्रमाण है। आपने कहा कि हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जिसे पीढ़ियों तक स्मरण किया जाता रहे। महाराणा भूपाल सिंह ने इस संस्था की स्थापना कर और अपने सामाजिक और जन कल्याणकारी कार्यो के माध्यम से अपने नाम को अमर कर दिया है। आज का यह आयोजन उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का अवलोकन कर प्रेरणा लेना का है।

इससे पूर्व विद्या प्रचारिणी सभा के मंत्री डॉ. महेन्द्र सिंह राठौड़ ने संस्था की विभिन्न इकाइयों की अकादमिक शैक्षिक आदि उपलब्धियों को विवरण प्रस्तुत कर आगे भी विकास की गति को बनाये रखने का आश्वासन व्यक्त किया।

संस्था के कार्यवाहक अध्यक्ष मानद प्रो. कर्नल शिवसिंह सारंगदेवोत ने महाराणा भूपाल सिंह जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। महाराणा भूपाल सिंह जी ने शारीरिक अक्षमाताओं के बावजूद समाज और राष्ट्र के लिए सदैव कार्य करते रहे हैं। शिक्षा के प्रति आपका विशेष अनुराग था। आपने कई शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना की जिसमें भूपाल नोबल्स संस्थान की स्थापना भी महत्वपूर्ण है। हमें सदैव आपके व्यक्तित्व एव कृतित्व से प्रेरणा लेते हुए समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देना चाहिए।

20 फरवरी से शिल्पग्राम में छाएगा 'ऋतु वसंत' का का जादू

उदयपुर। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर द्वारा शिल्पग्राम में वसंत ऋतु के स्वागत में तीन दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव 'ऋतु वसंत' 20 से 22 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इसमें शास्त्रीय संगीत और नृत्य की नामचीन हस्तियां अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगी।

पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर केंद्र के निदेशक फुरकान खान ने बताया कि उत्सव का शुभारंभ 20 फरवरी को दिल्ली के संगीतज्ञ चेतन जोशी के बांसुरी वादन से होगा। इनके साथ आंजनेय जोशी बांसुरी पर सहयोग करेंगे एवं तबले पर पंडित हितेन्द्र दीक्षित संगत करेंगे। इसके बाद मशहूर नृत्यांगना दिल्ली की गौरी दिवाकर कथक की प्रस्तुति देंगी। 21 फरवरी को जयपुर के गुलजार हुसैन वायलिन पर तथा जयपुर के मो. उमर दिलरूबा पर विशेष जुगलबंदी से समां बांधेंगे। इनके साथ तबले पर मेराज हुसैन एवं जेयान हुसैन संगत करेंगे। वहीं, फरीदाबाद की कविता द्विवेदी ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति देंगी। 22 फरवरी को कर्नाटक से जयतीर्थ मेवुण्डी द्वारा शास्त्रीय गायन प्रस्तुत किया जाएगा। तबले पर अभिषेक मिश्रा संगत करेंगे। उत्सव की अंतिम पेशकश के रूप में साध्या ग्रुप, नई दिल्ली द्वारा प्रसिद्ध कोरियोग्राफर संतोष नायर के निर्देशन में नृत्य प्रवाह की विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। प्रतिदिन सायं 7 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में आमजन के लिए निशुल्क प्रवेश रहेगा।

पांच दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण शिविर आयोजित

पांच दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण शिविर हेतु बसें सायं विश्वविद्यालय परिसर से प्रस्थान हुई।

उदयपुर, (निसं)। पेसिफिक शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय पाहेर विश्विद्यालय, उदयपुर द्वारा पांच दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण शिविर हेतु बसें सायं विश्वविद्यालय परिसर से प्रस्थान हुई।

इस अवसर पर प्रेसिडेंट प्रो. हेमंत कोठारी, प्रो.दिलेंद्र हिरेन (चेयरमैन फैकल्टी साइंस एंड टेक्नोलोजी) प्राचार्य डॉ. हेमंत पांड्या (पेसिफिक शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय), प्राचार्य डॉ. कपिलेश तिवारी (पेसिफिक टीचर्स एजुकेशन) ने संयुक्त रूप से विद्यार्थियों को हरी झंडी दिखाकर शुभकामनाओं सहित रवाना किया। कार्यक्रम में शिविर प्रभारी एवं वाइस प्रिंसिपल डॉ. जितेंद्र सिंह चुण्डावत ने बताया कि पांच दिवसीय शिविर में सभी छात्राध्यापकों को जैसलमेर दर्शन, मिट्टी, संस्कृति की पहचान के साथ साथ बॉर्डर तनोट माता दर्शन सहित वार म्यूजियम ओर दैनिक गतिविधियो ओर साहसिक क्रियाएं करवाई जाएंगी महाविद्यालय के समस्त छात्र-छात्राएं एवं स्टाफ सदस्य भी इस अवसर पर मौजूद रहे।

यह शैक्षणिक भ्रमण विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक समझ को सुदृढ करने तथा व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है।

आयड नदी में प्रदूषण को लेकर 25 को करेंगे आंदोलन

उदयपुर, 13 फरवरी (का.स.) । उदयपुर शहर के बीच से गुजर रही आयड नदी मे बढते जल प्रदूषण को लेकर के मेवाड किसान संघर्ष समिति आयड नदी के किनारे बसे एक दर्जन से भी अधिक गांवों के ग्रामीणों के साथ 25 फरवरी को कानपुर की नदी की पुलिया पर ढोल बजाने के साथ ही आंदोलन का शंखनाद करेंगे।

संघर्ष समिति के संयोजक विष्णु पटेल ने बताया कि आयड नदी में निरंतर प्रदूषण फैलता जा रहा है जिससे जल जनित बीमारियों का प्रकोप बढ रहा है। नदी किनारे बसे हुए दर्जन भर गांवों के ग्रामीणो को मजबूरन आंदोलन करना पड रहा है।

कानपुर के पूर्व उप सरपंच मदनलाल डांगी ने कहा कि आयड नदी के किनारे बसे हुए मनवाखेडाए मादडी, कलडवास, खेडा, कानपुर, भोईयों की पंचोली, मटून, खरबडयि, लकडवास, टीला खेडा, कमलोद, डूंगर, धुनी माता, पारा खेत सहित एक दर्जन से भी अधिक गांवो के ग्रामीण खेडा कानपुर की नदी पर बनी पुलिया से,साधु.संतों,जनप्रतिनिधियों सहित 12 गांव के प्रत्येक गांव से एक ढोल हर गांव का आएगाए 12 ढोल एक साथ बजाए जाएंगे।

समिति का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में निरंतर भूजल का खराब हो रहा है, क्षेत्र का पानी पीने लायक नहीं है

जिससे निरंतर जल जनित बीमारियों का प्रकोप बढ रहा है।आयड नदी के अंदर मेवाड औद्योगिक क्षेत्र एवं कलडवास औद्योगिक क्षेत्र का औद्योगिक इकाइयों का प्रदूषण आयड नदी में गिर रहा है उदयसागर तालाब सेफ्टी टैंक का रूप ले रहा है।

उदयपुर के स्काउट व रोवर्स को मिला राज्य पुरस्कार अवार्ड

उदयपुर। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड राज्य मुख्यालय जयपुर के तत्वाधान में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में उदयपुर जिले के 115 स्काउट्स तथा 11 रोवर्स तथा सलूंबर जिले के 27 स्काउट्स को राज्य पुरस्कार अवार्ड मिला।

इस समारोह में उदयपुर और सलूंबर जिले के वर्ष 2025-26 में राज्य पुरस्कार स्काउट व रोवर परीक्षा में सफल रहे स्काउट्स एवं रोवर्स का प्रतिनिधित्व द स्कालर एरिना स्कूल आर के पुरम स्काउट्स मौलिक गरासिया,गगन सालवी, स्काउट्स मृदुल पुरी गोस्वामी ने तथा हैडक्वार्टर ओपन रोवर्स क्रू उदयपुर के रोवर विरेंद्र सिंह चुंडावत ने किया।

विदेशी ताकतों के इशारे पर चलने के कारण कांग्रेस का हो रहा पतन : राखी राठौड़

उदयपुर, (का.स..) । उदयपुर में भाजपा महिला मोर्चा ने शुक्रवार को जोरदार शक्ति प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष ने राहुल गांधी पर विदेशी एजेंडे पर काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में विधानसभा में पुराना बजट पढे जाने जैसी घटनाएं लोकतंत्र का मजाक थीं।

टाउन हॉल स्थित दीनदयाल सभागार में आयोजित जिला स्तरीय सम्मलेन को संबोधित करते हुए भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी केवल विदेशी एजेंडे पर काम करते हैं। वे देश की छवि खराब करने की कोशिश में रहते हैं। राठौड ने आरोप लगाया कि कभी पेगासस तो कभी हिंडनबर्ग जैसे मुद्दों को उठाकर राहुल गांधी संसद की कार्यवाही रोकने की कोशिश करते है ।उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष पूरी तरह से निराशा में डूबा हुआ है। विदेशी ताकतों के इशारे पर चलने के कारण ही कांग्रेस का पतन हो रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि राहुल गांधी की बातों को अब गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि जनता उनका असली चेहरा पहचान चुकी है।

राजस्थान के मौजूदा बजट की तारीफ करते हुए राखी राठौड ने कांग्रेस के शासनकाल की याद दिलाई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार कितनी गंभीर थी यह इसी बात से पता चलता है कि उनके मुख्यमंत्री ने विधानसभा में पिछला बजट ही पढ लिया था। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पांच साल सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का काम किया।राठौड ने दावा किया कि वर्तमान बीजेपी सरकार ने पिछले बजट का 90 फीसदी काम पूरा कर लिया है।

यू डी टैक्स को लेकर निगम ने चार स्थानों पर की सीज कार्यवाही

उदयपुर, (का.स..) । नगरीय विकास कर को लेकर निगम ने शुक्रवार को फिर सख्त कार्यवाही करते हुए 4 संपत्तियों की सीज किया है। निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने स्पष्ट किया है कि निगम, नगरीय विकास कर को लेकर किसी भी प्रकार से कोई रियायत नहीं करेगा। आयुक्त अभिषेक खन्ना के अनुसार शुक्रवार को बापू बाजार स्थित आनंद राम जी भगवान दास (अजंता पिक्चर हाउस) जिसका नगरीय विकास कर कुल 6लाख 6 हजार 443 रूपये बकाया था जिसे सीज किया गया। बीएन कॉलेज रोड, सेवाश्रम स्थित गुडविल एंटरप्राइजेज की संपत्ति जिसका नगरीय विकास कर कुल 4लाख 65हजार 760 रूपये बकाया था जिसे भी सीज किया गया। डोरे नगर, सेवाश्रम स्थित पॉपुलर गैस संपत्ति जिसका कुल 3लाख 62हजार 730 रुपया नगरीय विकास कर बकाया चल रहा था उसको भी सीज किया गया। प्रतापनगर मेन रोड स्थित अब्दुल रफीक,अब्दुल काशिफ जिसका कुल 1लाख 72हजार 269 रुपया नगरीय विकास कर बकाया चल रहा था उसको भी सीज किया गया।

आयुक्त खन्ना के अनुसार इनके द्वारा नगरीय विकास कर की राशि जमा नहीं कराने से नगर निगम द्वारा इन व्यावसायिक सम्पतियों पर ताला लगा इनकी व्यावसायिक गतिविधियाँ बन्द करा दी गई। संबंधित फर्मो द्वारा टैक्स बकाया रहने के लिए कोई संतोषप्रद कारण भी नही बताया गया। फर्म से कुल बकाया का नोटिस भी तामिल करवाया जा चुका था। सभी कार्यवाही पूरी करने के उपरांत निगम ने कार्यवाही करते हुए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा की उपबंधो के अधिन यू डी टैक्स की वसूली की पूर्ती हेतु चार संपतियो को सीज करने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान राजस्व निरीक्षक मोहित अग्निहोत्रीए विजय जैन और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। सीज करने के पश्चात बी.एन. कॉलेज रोड, सेवाश्रम, स्थित गुडविल एंटरप्राइजेज की संपत्ति जिसका नगरीय विकास कर कुल 4 लाख 65 हजार 760 रूपये बकाया था, ने निगम आकर अपनी राशि जमा करवाई।

निर्वाचन के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त

उदयपुर। राज्य निर्वाचन आयोग ने उदयपुर जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में पूर्व में जारी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार सीईओ जिला परिषद उदयपुर, रजिस्ट्रार एमएलएसयू उदयपुर, रजिस्ट्रार एमपीयूएटी, अतिरिक्त आयुक्त (योजना एवं नीति) आबकारी विभाग उदयपुर, उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर विभाग उदयपुर, निदेशक आरएससीईआरटी उदयपुर, भू प्रबंध अधिकारी उदयपुर, अतिरिक्त आयुक्त टीएडी, नयागांव, गिर्वा, गोगुन्दा व मावली उपखण्ड अधिकारी, एसीईओ जिला परिषद, वरिष्ठ प्रबंधक आरएसएमएम, परियोजना प्रबंधक अनुसूचित जाति विकास निगम, भूमि अवाप्ति अधिकारी यूडीए, उपायुक्त यूडीए, उपायुक्त टीएडी उदयपुर को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है।

कार्यालय ग्राम पंचायत पोगराकला
प.स. खेरवाडा, जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक:- 26 दिनांक- 13.02.26

खुली बोली निविदा सूचना

ग्राम पंचायत पोगरकला पंचायत समिति खेरवाड़ा में निर्माण कार्यो हेतु इच्छुक एवं उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निविदां दिनांक 22.02.26 को साय 6:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण/जानकारीsppp.rajasthan.gov.in वhtttps://eproc.rajasthan.goc.in पर देखी जा सकती है।

UBN No ZUD2526WSOB04553, ZUD2526WSOB04554 ZUD2526WSOB04555, ZUD2526WSOB045556

प्रशासक | ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत पोगरा कला | ग्राम पंचायत पोगरा कला
पं.स. खेरवाड़ा, जि. उदयपुर | पं.स. खेरवाड़ा, जि. उदयपुर

कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर)

क्रमांक:-एफ( )स्टोर/लेखा/205-26/1660 दिनांक 12.02.2026

निलामी निविदा सूचना संख्या- 100/2025-26

सर्व साधारण विशेषकर नकारा/अनुपयोगी सामग्री क्रेताओं को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय की रेंज उदयपुर (पूर्व) में सीतामाता नर्सरी परिसर नियर पिछोला झील पर राशि रू. 1,80,400/- के नकारा एवं अनुपयोगी सामान की खुली बोली दिनांक 23.02.2026 को दोपहर 12:30 बजे से 1.30 बजे तक पुकरवाई जावेगी। इच्छुक क्रेता 2 प्रतिशत अमानत राशि रू. 3608/- जमा कराकर निलामी में भाग ले सकते है। जिसका विस्तृत विवरण वेब-साईट sppp.rajasthan.gov.in; पर व इस कार्यालय व रेंज कार्यालय उदयपुर (पूर्व) में देखी जा सकी है।

NIB No. FOR2526Ad013
UBN No. FOR2526SSOB05546

(अजय चित्तौड़ा)
उप वन संरक्षक उदयपुर (उत्तर)

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, ''अ''श्रैणी निम्बाहेड़ा
दूरभाष – कार्यालय–01477–220040 ईमेल– kums.nimbahe@rajasthan.gov.in

क्रमांक/कृउमस/आंवटन/25–26/1211–1234 दिनांकः– 05.02.2026

विज्ञप्ति

कृषि उपज मण्डी समिति, निम्बाहेडा के फल–सब्जी मण्डी प्रांगण मे चिन्हित एवं रिक्त दुकान/गोदाम भूखण्डों के आवंटन हेतु इस कार्यालय से जारी विज्ञप्ति कमांक 1250–1266 दिनांक 12.03.2022 एवं कंमांक 333–348 दिनांक 27.06.2022 के कम मे अनुज्ञापत्रधारी संयुक्त/'क' वर्ग दलाल/व्यापारी वर्ग निःशक्तजन अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी वर्ग एवं महिला कृषक (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विधवा) वर्ग तथा जैविक खेती उत्पाद कृषक वर्ग, अनुज्ञापत्रधारी तेल मील एवं अन्य कृषि जिन्स प्रसंस्करण इकाई वर्ग, पंजीकृत कृषक उत्पादक संगठन/कम्पनी एवं वन उपज/औषधी पादप/जड़ी बुटी के अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी वर्ग के अंतिम दिनांक तक प्राप्त आवेदन पत्रों के दिये आंकडों एवं संलग्न दस्तावेजो के आधार पर जांच एवं सत्यापन किए जाने के उपरान्त अचल सम्पति आवंटन नीति 2005 के बिन्दु संख्या 7(1)(4) की पालना मे निम्नानुसार पात्र एवं अपात्र सूची जारी की जाती हैं। अचल संपति आवंटन नीति 2005 के बिन्दु संख्या 7(1)(1)के तहत 01.04.2010 के पूर्व अनुज्ञापत्रधारी जो कि निरन्तर व्यवसायरत हो उन्हे निर्धारित आरक्षित दर पर सर्वप्रथम आवंटन किया जाएगा।

अचल सम्पति आवंटन नीति 2005 के बिन्दु संख्या 7(1)(1) के तहत पात्र आवेदको की सूची

भूखण्ड साईज 15'9''X 27'6'+20 (15 दुकान/गोदाम मय प्लेटफॉर्म)

अचल सम्पति आवंटन नीति 2005 के बिन्दु संख्या 7(1)(1) के तहत पात्र आवेदको की सूची

क.स.	फर्म का नाम	अनुज्ञापत्र कमांक व दिनांक	वि.वि.
1	2	3	4
1	मैसर्स मुन्ना खॉ मोहम्मद खॉ	01/28.04.1995	पात्र
2	मैसर्स दुर्गाशंकर गणेशलाल माली	10/30.10.1999	पात्र

अचल सम्पति आवंटन नीति 2005 के बिन्दु संख्या 7(1)(1) के तहत अपात्र आवेदको की सूची

क.स.	फर्म का नाम	अनुज्ञापत्र कमांक व दिनांक	अपात्रता का कारण
1	2	3	4
1	मैसर्स कन्हैयालाल नारायणलाल माली	94/ 31.03.1999	मुख्य मण्डी प्रांगण में पूर्व में दुकान/गोदाम भुखण्ड आवंटीत है
	मैसर्स अर्जुनलाल मनोहरलाल माली	92/31.03.1999	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
2	मैसर्स राजू एण्ड ब्रदर्स	306/17.06.2003	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
3	मैसर्स ईश्वर फ्रुट कम्पनी	424/17.06.2009	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
4	मैसर्स महादेव सब्जी भण्डार	375/04.07.2008	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
5	मैसर्स शिव ट्रेडर्स	496/10.02.2012	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
6	मैसर्स उसमान भाई मुन्ना भाई	495/10.02.2012	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
7	मैसर्स बालाजी वेजीटेबल कम्पनी	603/29.06.2015	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
8	मैसर्स तरूण कुमार नौतनदास	494/10.02.2012	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
9	मैसर्स जयनारायण फ्रुट कम्पनी	618/03.09.2015	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
10	मैसर्स हेमन्त कुमार किशनलाल माली	616/03.09.2015	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
11	मैसर्स शंकर फ्रुट कम्पनी	556/04.03.2014	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
12	मैसर्स कालूलाल मोहनलाल माली	719/10.08.2017	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
13	मैसर्स देवीलाल मोहनलाल माली	498/10.02.2012	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
14	मैसर्स बाबूलाल मोहनलाल माली	716/25.05.2017	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
15	मैसर्स उदयलाल मोहनलाल माली	718/10.08.2017	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
16	मैसर्स नरेश सब्जी भण्डार	722/24.08.2017	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
17	मैसर्स मदार फ्रुट कम्पनी	615/03.09.2015	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
18	मैसर्स शिव आनन्द सब्जी भण्डार	607/05.08.2015	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
19	मैसर्स आशिक हुसैन एण्ड सन्स	803/14.06.2021	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
20	मैसर्स एस. बी. कम्पनी	826/23.11.2021	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
21	मैसर्स जे.के केला सप्लायर्स	730/30.12.2017	वित्तिय वर्ष 2010–11 से लगातार व्यवसाय नही करने के कारण

आवंटन नीति के बिन्दु संख्या 7(1)(1) के तहत प्रथम वरियता के अनुज्ञापत्रधारी शेष नही रहनें पर द्वितीय वरीयता पर विज्ञप्ति जारी होने से ठीक पूर्व के 3 पूर्ण वित्तीय वर्षो मे निरन्तर व्यवसायरत फर्म को द्वितीय चरण हेतु निर्धारित आरक्षित दर की डेढ गुना राषि पर आवंटन किया जायेगा।

अचल सम्पति आवंटन नीति 2005 के बिन्दु संख्या 7(1)(2) के तहत पात्र आवेदको की सूची

क.स.	फर्म का नाम	अनुज्ञापत्र कमांक व दिनांक	वि.वि.
1	2	3	4
1	मैसर्स महादेव सब्जी भण्डार	375/04.07.2008	पात्र
2	मैसर्स शिव ट्रेडर्स	496/10.02.2012	पात्र
3	मैसर्स उसमान भाई मुन्ना भाई	495/10.02.2012	पात्र

अचल सम्पति आवंटन नीति 2005 के बिन्दु संख्या 7(1)(2) के तहत अपात्र आवेदको की सूची

क.स.	फर्म का नाम	अनुज्ञापत्र कमांक व दिनांक	अपात्रता का कारण
1	2	3	4
1	मैसर्स कन्हैयालाल नारायणलाल माली	94/ 31.03.1999	मुख्य मण्डी प्रांगण में पूर्व में दुकान/गोदाम भुखण्ड आवंटीत है
2	मैसर्स अर्जुनलाल मनोहरलाल माली	92/31.03.1999	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
3	मैसर्स राजू एण्ड ब्रदर्स	306/17.06.2003	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
4	मैसर्स ईश्वर फ्रुट कम्पनी	424/17.06.2009	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
5	मैसर्स बालाजी वेजीटेबल कम्पनी	603/29.06.2015	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
6	मैसर्स तरूण कुमार नौतनदास	494/10.02.2012	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
7	मैसर्स जयनारायण फ्रुट कम्पनी	618/03.09.2015	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
8	मैसर्स हेमन्त कुमार किशनलाल माली	616/03.09.2015	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
9	मैसर्स शंकर फ्रुट कम्पनी	556/04.03.2014	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
10	मैसर्स कालूलाल मोहनलाल माली	719/10.08.2017	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
11	मैसर्स देवीलाल मोहनलाल माली	498/10.02.2012	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
12	मैसर्स बाबूलाल मोहनलाल माली	716/25.05.2017	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
13	मैसर्स उदयलाल मोहनलाल माली	718/10.08.2017	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
14	मैसर्स नरेश सब्जी भण्डार	722/24.08.2017	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
15	मैसर्स मदार फ्रुट कम्पनी	615/03.09.2015	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
16	मैसर्स शिव आनन्द सब्जी भण्डार	607/05.08.2015	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण
17	मैसर्स आशिक हुसैन एण्ड सन्स	803/14.06.2021	विज्ञप्ति जारी होने से ठीक पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय नही होने के कारण
18	मैसर्स एस. बी. कम्पनी	826/23.11.2021	विज्ञप्ति जारी होने से ठीक पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय नही होने के कारण
19	मैसर्स जे.के केला सप्लायर्स	730/30.12.2017	विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के 3 पूर्ण वित्तिय में लगातार व्यवसाय नही करने के कारण

अचल सम्पति आवंटन नीति के बिन्दु संख्या 7(1)(1) व 7(1)(2) के समस्त पात्र अनुज्ञापत्रधारी के आवंटन के पश्चात् दुकान/भूखण्ड रिक्त रहने की दषा मे शेष समस्त आवेदकों आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन किया जावेगा।

अचल सम्पति आवंटन नीति 2005 के बिन्दु संख्या 7(1)(3) के तहत पात्र आवेदको की सूची

क.स.	फर्म का नाम	अनुज्ञापत्र कमांक व दिनांक	वि.वि.
1	2	3	4
1	मैसर्स अर्जुनलाल मनोहरलाल माली	92/31.03.1999	पात्र
2	मैसर्स राजू एण्ड ब्रदर्स	306/17.06.2003	पात्र
3	मैसर्स ईश्वर फ्रुट कम्पनी	424/17.06.2009	पात्र
4	मैसर्स बालाजी वेजीटेबल कम्पनी	603/29.06.2015	पात्र
5	मैसर्स तरूण कुमार नौतनदास	494/10.02.2012	पात्र
6	मैसर्स जयनारायण फ्रुट कम्पनी	618/03.09.2015	पात्र
7	मैसर्स हेमन्त कुमार किशनलाल माली	616/03.09.2015	पात्र
8	मैसर्स शंकर फ्रुट कम्पनी	556/04.03.2014	पात्र
9	मैसर्स कालूलाल मोहनलाल माली	719/10.08.2017	पात्र
10	मैसर्स देवीलाल मोहनलाल माली	498/10.02.2012	पात्र
11	मैसर्स बाबूलाल मोहनलाल माली	716/25.05.2017	पात्र
12	मैसर्स उदयलाल मोहनलाल माली	718/10.08.2017	पात्र
13	मैसर्स नरेश सब्जी भण्डार	722/24.08.2017	पात्र
14	मैसर्स मदार फ्रुट कम्पनी	615/03.09.2015	पात्र
15	मैसर्स शिव आनन्द सब्जी भण्डार	607/05.08.2015	पात्र
16	मैसर्स आशिक हुसैन एण्ड सन्स	803/14.06.2021	पात्र
17	मैसर्स एस. बी. कम्पनी	826/23.11.2021	पात्र
18	मैसर्स जे.के केला सप्लायर्स	730/30.12.2017	पात्र

अचल सम्पति आवंटन नीति 2005 के बिन्दु संख्या 7(1)(3) के तहत अपात्र आवेदको की सूची

क.स.	फर्म का नाम	अनुज्ञापत्र कमांक व दिनांक	अपात्रता का कारण
1	2	3	4
1	मैसर्स कन्हैयालाल नारायणलाल माली	94/ 31.03.1999	मुख्य मण्डी प्रांगण में पूर्व में दुकान/गोदाम भुखण्ड आवंटीत है

निःषक्तजन अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी वर्ग हेतु पात्र आवेदको की सूची

क.स.	फर्म का नाम	अनुज्ञापत्र संख्या व दिनांक	वि.वि.
1	2	3	4
1	मैसर्स नारायण मोहनलाल माली	499/10.02.2012	पात्र

आवंटन के लिए उपरोक्त अनुसार अनुज्ञापत्रधारी संयुक्त/'क' वर्ग दलाल/व्यापारी वर्ग निःशक्तजन अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी वर्ग एवं महिला कृषक (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विधवा) वर्ग तथा जैविक खेती उत्पादक कृषक वर्ग अनुज्ञापत्रधारी तेल मील एवं अन्य कृषि जिन्स प्रसंस्करण इकाई वर्ग, पंजीकृत कृषक उत्पादक संगठन/कम्पनी एवं वन उपज/औषधि पादप/जड़ी बुटी के अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी वर्ग की पात्रता निर्धारण मे किसी को भी कोई भी आपत्ति हो तो लिखित मे साक्ष्य के साथ दिनांक 23.02.2026 को साय 6.00 बजे तक कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति निम्बाहेडा मे प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त समय समयावधि के पश्चात् किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा।

राज.संवाद/सी/25/19665 सचिव